भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 320

उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026

सोमवार, 19 श्रावण, 1948 (शक)

जिला-विशिष्ट कौशल विकास योजना

***320. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक जिले के औद्योगिक, कृषि, सेवा और स्थानीय आर्थिक कार्यकलापों के अनुरूप जिला-विशिष्ट कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, संभारतंत्र, खेल अवसंरचना, पर्यटन, पशुपालन और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) जैसी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान, विशेष रूप से झुंझुनू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने स्थानीय रोजगार और उद्योगों की मानव संसाधन आवश्यकताओं पर जिला-विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या रहे; और

(ड.) क्या सरकार का विचार उक्त डीएसडीपी को जिला उद्योग केन्द्र, एमएसएमई, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), राज्य सरकार और स्थानीय उद्योगों के साथ एकीकृत करके प्रत्येक जिले के लिए कार्यान्वित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

<u>'जिला-विशिष्ट कौशल विकास योजना' के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को श्री बृजेंद्र सिंह ओला द्वारा पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *320 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) और (ङ): कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने जिला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपी) और राज्य कौशल विकास योजनाओं (एसएसडीपी) के माध्यम से विकेंद्रीकृत कौशल नियोजन की एक संस्थागत रूपरेखा स्थापित की है। विश्व बैंक सहायता प्राप्त संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तर पर डीएसडीपी तैयार करने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर/उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला कौशल समितियों (डीएससी) का गठन किया गया था। डीएसडीपी का उद्देश्य जिलों की औद्योगिक, कृषि, सेवा तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के अनुरूप कौशलीकरण संबंधी हस्तक्षेपों को सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत रोजगार की संभावनाओं तथा कुशल जनशक्ति की मांग वाले क्षेत्रों की पहचान की जाती है। इन योजनाओं में जिले की विशिष्ट आर्थिक रूपरेखा, जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियां, कार्यबल की विशेषताएं, नियोक्ताओं की मांग, प्रवासन के रुझान, उपलब्ध आधारभूत संरचना, प्रशिक्षण क्षमता तथा भविष्य में विकास की संभावनाओं वाले क्षेत्रों का समावेश किया जाता है। इन योजनाओं को आवश्यकताओं के आकलन, कौशल मानचित्रण, मांग के एकत्रीकरण तथा कौशल अंतराल के विश्लेषण के माध्यम से तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में उद्योग प्रतिनिधियों, प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य स्थानीय हितधारकों के साथ परामर्श भी किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निर्धारित संकल्प पोर्टल पर 746 डीएसडीपी और 28 एसएसडीपी प्रस्तुत की गईं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को डीएसडीपी और एसएसडीपी का निरंतर निर्माण, समय-समय पर अद्यतन तथा वार्षिक प्रस्तुतीकरण जारी रखने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, अल्पकालिक कौशलीकरण के अंतर्गत लक्षित आवंटन को डीएसडीपी के अनुरूप किया जाता है, जिसमें जिला स्तर की आर्थिक गतिविधियों, क्लस्टर आधारित मांग तथा उभरते हुए रोजगार और आजीविका के अवसरों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) और (ग) भारत सरकार राजस्थान और झुंझुनू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में अपनी चल रही स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम लागू कर रही है।

एमएसडीई की कौशल विकास स्कीमें/कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

(i) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):

पीएमकेवीवाई एक मांग-आधारित योजना है, जिसमें स्थानीय कौशल आवश्यकताओं, ज़िला स्तर पर कौशल की कमी और उद्योग की मांग के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, संभारतंत्र, पर्यटन एवं आतिथ्य, नवीकरणीय ऊर्जा और संबंधित क्षेत्रों सहित स्थानीय आर्थिक गतिविधियों से जुड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। पीएमकेवीवाई 4.0 उद्योग-अनुकूल और भविष्य के लिए तैयार कौशलों पर विशेष ध्यान देता है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, शुरुआत से ही राजस्थान में 14.09 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त किया गया है और 12.12 लाख उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 3.15 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/ अभिविन्यस्त किया गया है और 2.51 लाख उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है। राजस्थान और झुंझुनू में विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण और प्रमाणन का क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्षेत्र	**राजस्थान**				**झुंझुनू**			
	पीएमकेवीवाई		**पीएमकेवीवाई 4.0**		**पीएमकेवीवाई**		**पीएमकेवीवाई 4.0**	
	प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त	**प्रमाणित**	**प्रशिक्षित/ अभिविन्यस्त**	**प्रमाणित**	**प्रशिक्षित/ अभिविन्यस्त**	**प्रमाणित**	**प्रशिक्षित/ अभिविन्यस्त**	**प्रमाणित**
कृषि	49,608	36,734	11,222	7,806	2,496	2,120	1,193	1,064
खाद्य प्रसंस्करण	14,003	11,784	3,445	2,709	755	717	390	379
संभारतंत्र	33,045	26,617	1,172	560	6,331	5,303	180	0
खेल	26,105	25,711	241	127	0	0	0	0
पर्यटन और आतिथ्य	81,897	76,324	7,501	5,575	2,612	2,405	634	517
नवीकरणीय ऊर्जा	38,446	31,565	26,427	21,482	2,352	2,123	2,022	1,807
कुल	**2,43,104**	**2,08,735**	**50,008**	**38,259**	**14,546**	**12,668**	**4,419**	**3,767**

इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 राज्यों, उद्योगों, प्रशिक्षण प्रदाताओं और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को स्थानीय आर्थिक अवसरों और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें कृषि, एमएसएमई, खाद्य प्रसंस्करण, संभारतंत्र, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य उभरते क्षेत्र शामिल हैं।

(ii) पीएम विश्वकर्मा स्कीम:

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा (पीएमवी) एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम है, जिसे दिनांक 17.09.2023 को कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य विश्वकर्माओं को आधुनिक औजारों और तकनीकों के ज्ञान के साथ-साथ उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऋण सहायता प्रदान करके उनके कौशल को उन्नत करना है। इस स्कीम का कार्यान्वयन तीन मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है, जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) और वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) शामिल हैं। एमएसडीई इस स्कीम के कौशलीकरण घटक के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। कुल मिलाकर इस स्कीम के अंतर्गत 18 ट्रेडों को शामिल किया जा रहा है, जिनमें दर्जी, राजमिस्त्री, बढ़ई, मालाकार, नाई, टोकरी बनाने वाला/टोकरी बुनने वाला, चटाई बनाने वाला/कॉयर बुनकर/झाड़ू बनाने वाला, धोबी, मूर्तिकार, कुम्हार, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला, लोहार, सुनार, मोची, हथौड़ा और औजार बनाने वाला, गुड़िया और खिलौने बनाने वाला, कवच बनाने वाला, नाव बनाने वाला और ताला बनाने वाला शामिल हैं। दिनांक 02/08/2026 तक, राजस्थान में पीएम विश्वकर्मा

स्कीम के तहत 2,24,516 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित और मूल्यांकित किया जा चुका है। राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है:

02/08/2026 तक की स्थिति के अनुसार

जिले	पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या	प्रशिक्षित और मूल्यांकित उम्मीदवारों की संख्या
झुंझुनू	6,378	5,998
सीकर	6,364	5,911

(iii) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम:

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम, जिसे शुरू में 1967 में श्रमिक विद्यापीठ (एसवीपी) के रूप में शुरू किया गया था, का उद्देश्य भारत सरकार के पूर्ण अनुदान से पंजीकृत समितियों (एनजीओ) के माध्यम से लाभार्थियों के घर पर ही अनौपचारिक रूप से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस स्कीम का लक्ष्य कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार/मजदूरी रोजगार को बढ़ावा देकर घरेलू आय में वृद्धि करना है। इस स्कीम के लक्षित लाभार्थी निरक्षर और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, साथ ही कक्षा 12वीं तक के बीच में स्कूल छोड़ने वाले छात्र और 15-45 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 से दिनांक 30 जून 2026 तक, राजस्थान में जन शिक्षण स्कीम के तहत कुल 1,02,323 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 14,273 लाभार्थियों को झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जेएसएस सीकर में प्रशिक्षित किया गया है। जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और आतिथ्य जैसे 24 क्षेत्रों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) स्तर 2-4 पर 83 एनएसक्यूएफ-अनुरूप जॉब रोलों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(iv) राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस):

भारत सरकार ने उद्योग-आधारित, ऑन द जॉब अधिगम के माध्यम से शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अगस्त 2016 में राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) शुरू की। वित्त वर्ष 2022-23 से, यह स्कीम शिक्षु अधिनियम, 1961 के उपबंधों के तहत एनएपीएस-2 के रूप में लागू की जा रही है। एनएपीएस के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण सहभागी प्रतिष्ठानों द्वारा मौजूदा औद्योगिक बुनियादी ढांचे और कार्यस्थल सुविधाओं का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। यह स्कीम शिक्षुओं को विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसायों में व्यावहारिक कार्यस्थल अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव और उद्योग-संबंधी कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जिससे रोजगारोन्मुखी कौशल विकास को बढ़ावा मिलता है। इस स्कीम के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण मांग-आधारित है और सहभागी प्रतिष्ठानों की कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरूप है, जिससे स्थानीय उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कुशल मानव संसाधन के विकास में सहायता मिलती है। सरकार हितधारकों के साथ परामर्श, जागरूकता कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण पहलों और उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा देकर शिक्षुता प्रणाली को मजबूत करना जारी रखे हुए है।

(v) प्रधानमंत्री सूर्य घर के अंतर्गत सौर उद्यमशीलता:-

राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), जो एमएसडीई के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 से सौर ऊर्जा उद्यमशीलता संबंधी उद्यमशीलता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) का संचालन कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान में कुल 2105 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें सीकर जिले के 261 प्रतिभागी शामिल हैं।

(vi) उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम:-

उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सहयोग से, निस्बड ने उचित मूल्य की दुकानों (एफ़पीएस) के मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। यह परियोजना पीएमकेवीवाई के अंतर्गत एक विशेष परियोजना के रूप में चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य एफ़पीएस मालिकों को खुदरा उद्यमियों द्वारा अपनाई जा रही समकालीन प्रथाओं के अनुरूप अपना व्यवसाय चलाने में सक्षम बनाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता तथा सरकारी सहायता प्रणाली के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करना है। इस पहल के तहत राजस्थान राज्य में कुल 28 एफ़पीएस मालिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(vii) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) परियोजना:

निस्बड, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा वित्तपोषित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) परियोजना को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) के माध्यम से अनुसूचित जनजाति समुदायों की क्षमता निर्माण और उद्यमिता विकास करना है। यह परियोजना जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से चलाई जा रही है। डीएजेजीयूए पहल का मुख्य उद्देश्य वीडीवीके को मजबूत करना है, जो लघु वन उपज (एमएफपी) के संग्रहण, मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण और विपणन के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। इस परियोजना के तहत, निस्बड राजस्थान के झालावाड़ जिले सहित देश भर के वीडीवीके की क्षमता निर्माण कर रहा है, ताकि 7679 प्रतिभागियों को संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों - उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और मूल्यवर्धित प्रशिक्षण (वीएटी) के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सके।

अन्य मंत्रालयों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

(i) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) देश भर में सौर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना के लिए सक्षम स्थानीय कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु डिस्कॉम अधिकारियों, विक्रेताओं और सौर पीवी तकनीशियनों/इंस्टॉलरों सहित विभिन्न हितधारकों के कौशल विकास के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम लागू कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, राजस्थान में विभिन्न प्रशिक्षण घटकों के तहत कुल 15,674 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 621 डिस्कॉम अधिकारी शामिल हैं।

(ii) पर्यटन मंत्रालय, सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण स्कीम (सीबीएसपी) लागू कर रहा है, जिसके तहत पर्यटन सेवा प्रदाताओं को हर स्तर पर शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य देश की विशाल पर्यटन क्षमता का पूर्ण लाभ उठाने के लिए सेवा के हर स्तर पर मानव संसाधन को प्रशिक्षित और उन्नत करना है, साथ ही स्थानीय लोगों को पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करना और शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन के नए अवसर पैदा करना है। राजस्थान राज्य में पिछले पांच वर्षों में सीबीएसपी योजना के तहत 7707 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित/प्रमाणित किया गया है।

(iii) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देश के 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 734 जिलों में केंद्र प्रायोजित योजना "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता" (एटीएमए) लागू कर रहा है। यह स्कीम देश में विकेंद्रीकृत और किसान-हितैषी विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है (जिसमें झुंझुनू जिले सहित राजस्थान के सभी 41 जिले शामिल हैं)। इस स्कीम का उद्देश्य राज्य सरकारों के प्रयासों का समर्थन करना और विभिन्न विस्तार गतिविधियों जैसे किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, अनुभव भ्रमण, किसान मेला, किसान समूहों का संगठित होना, कृषि विद्यालयों का आयोजन और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण आदि के माध्यम से किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों और अच्छी कृषि पद्धतियों को उपलब्ध कराना है।

(घ) कौशल विकास स्कीमों के प्रभाव का आकलन तृतीय-पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है।

एमएसडीई की प्रमुख स्कीम पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन अक्टूबर 2020 में नीति आयोग द्वारा रोजगार और कौशल क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार किया गया:

i. इस स्कीम के तहत प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण नियोक्ताओं के लिए प्रासंगिक है और वे अप्रशिक्षित उम्मीदवारों की तुलना में पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं।
ii. आरपीएल घटक के तहत प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्लेसमेंट प्राप्त उम्मीदवारों में से 52% को बिना प्रमाणन वाले अपने साथियों की तुलना में अधिक वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अधिक वेतन मिलेगा।
iii. सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94% नियोक्ताओं ने बताया कि वे इस योजना के तहत प्रशिक्षित अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त करेंगे।
iv. लगभग 67% और 18% नियोक्ताओं ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के संबंध में उनका समग्र अनुभव क्रमशः अच्छा और बहुत अच्छा था।

इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) स्कीम का तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा निम्नानुसार किया गया:

i. लाभार्थियों का अधिकतम प्रतिशत (70.5%) अपने इच्छित कौशल क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में सफल रहा।
ii. पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए, एनएसडीसी और सूचीबद्ध निरीक्षण एजेंसियां विभिन्न मापदंडों का उपयोग करती हैं। इनमें सत्यापन, अचानक निरीक्षण और स्किल इंडिया पोर्टल (एसआईपी) (पूर्ववर्ती कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस)) के माध्यम से निगरानी शामिल है। नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके इन मानकों को और भी सुदृढ़ बनाया जाता है।
iii. इस स्कीम के परिणामस्वरूप, लाभार्थी प्रशिक्षुओं के मासिक वेतन में 118.2% की परिवर्तन दर्ज किया गया है। सर्वेक्षण में शामिल लाभार्थियों का औसत मासिक पारिश्रमिक/वेतन पीएमकेवीवाई 2016-20 के तहत प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ₹8,422.64 से बढ़कर ₹17,871.26 हो गया है।

पीएमकेवीवाई 4.0 की तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसमें मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्ष शामिल हैं, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) द्वारा दिनांक 14.12.2025 को प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर, प्रमुख निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार है:

i. कुल मिलाकर, सर्वेक्षण में शामिल एसटीटी प्रशिक्षुओं में से 70% ने रोजगार क्षमता, तकनीकी कौशल, आत्मविश्वास और सॉफ्ट स्किल्स में सुधार के रूप में पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण से लाभान्वित होने की बात स्वीकार की।
ii. 79% आरपीएल उम्मीदवारों ने बताया कि उन्हें पीएमकेवीवाई 4.0 मान्यता और प्रमाणन प्रक्रिया से लाभ हुआ।
iii. नियोजित और स्व-नियोजित एसटीटी उत्तरदाताओं का संयुक्त हिस्सा प्रशिक्षण से पहले 26.6% (5,038 में से 1,340) से बढ़कर पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण के बाद 45.4% (5,038 में से 2,285) हो गया, जो 18.8 प्रतिशत अंक की वृद्धि को दर्शाता है।
iv. एसटीटी के 41.4% उम्मीदवारों (5,038 में से 2,086) और आरपीएल के 48.9% उम्मीदवारों (2,062 में से 1,009) ने पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण और प्रमाणन के बाद आय में वृद्धि की सूचना दी।

एमएसडीई ने अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) के माध्यम से वर्ष 2025 में जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम का वर्ष 2021-2026 की अवधि को कवर करते हुए एक व्यापक तृतीय-पक्षीय मूल्यांकन किया। मूल्यांकन में पाया गया कि यह स्कीम समाज के वंचित वर्गों को समुदाय-आधारित, आजीविका-उन्मुख कौशल प्रदान करने में अत्यंत प्रासंगिक बनी हुई है। रिपोर्ट में बताया गया कि लगभग 90% लाभार्थियों ने रोजगार के अवसरों के लिए अर्जित कौशल का उपयोग किया, जबकि 82% लाभार्थियों को प्रशिक्षण पूरा होने के छह महीने के भीतर लाभकारी रोजगार मिल गया। अध्ययन में लाभार्थियों की औसत मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि भी देखी गई। लाभार्थियों में 82% से अधिक महिलाएं थीं और 73% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित थीं, जो वंचित समुदायों तक योजना की पहुंच की पुष्टि करता है।

इसके अतिरिक्त, एमएसडीई ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के माध्यम से सात उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में कौशल अंतर का राष्ट्रीय अध्ययन किया है ताकि क्षेत्र-विशिष्ट कौशल मांगों के विश्लेषण के लिए एक सुदृढ़ पद्धति स्थापित की जा सके। इन सात क्षेत्रों में शामिल हैं - (i) अनाज, दलहन और तिलहन की खेती; (ii) गाय और भैंस पालन; (iii) वस्त्रों की बुनाई; (iv) मोटर वाहनों, मोटर वाहनों के पुर्जों और सहायक उपकरणों का निर्माण; (v) सौर ऊर्जा और अन्य गैर-पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करके विद्युत उत्पादन; (vi) विशेषीकृत दुकानों में खाद्य पदार्थ, वस्त्र, जूते और चमड़े के सामान की खुदरा बिक्री और मोटर वाहनों का रखरखाव एवं मरम्मत; और (vii) कंप्यूटर प्रोग्रामिंग गतिविधियाँ। इस अध्ययन में उन जॉब रोल्स की पहचान की गई है जिनमें इन सात क्षेत्रों में मांग की कमी है या भविष्य में होने की संभावना है।
